(५)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)**

**पत्रावली संख्या : 36/2025 अपील**

पूरनसिंह पुत्र रनजीतसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हिगोंटा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अपीलांट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भुसावर
2. रामढकेली पत्नि स्व0 सम्पत
3. मुकेश पुत्र सम्पत
4. गोविन्द पुत्र सम्पत

(2 से 4) जातियान जाट निवासियान ग्राम बाछरैन तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

5. मछला देवी पुत्री सम्पत पत्नि थानसिंह जाति जाट निवासी बाछरैन तहसील भुसावर हाल निवासी लकवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश पटवार मण्डल बाछरैन/भू0अ0नि0 छौकरवाडा कलां तहसील भुसावर जिला भरतपुर नामा0 प्रविष्टि कम संख्या 34 दिनांक 1.12.2023 द्वारा तहसीलदार भुसावर ।

उपस्थिति :
1. श्री खैमसिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अप्रार्थी0

**निर्णय** दिनांक : 20.02.2026

अपीलांट ने अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक विरूद्व आज्ञा तहसीलदार भुसावर बावत नामा0 प्रविष्टि कम संख्या 34 दिनांक 1.12.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामा0 प्रविष्टि कम संख्या 34 दिनांक 1.12.2023 अपीलान्ट के नाम इन्द्राज़ नही करने की अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है जिससे व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पो. को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की तहत पत्रावली तलब की गयी।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 1569 नया नम्बर 2286 रकबा 1.04 है0 में से 5/12 हिस्सा वाके ग्राम बाछरैन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तहसील भुसावर में स्थित है। जिसे दस्तावेज संख्या 164 प्रविष्टि के आधार पर दिनांक 06.2.2002 को 161000/— रू0 में रेस्पो0संख्या 2 लगायत 5 के पिता सम्पति उर्फ सम्पत से कय की थी जिसके आधार पर दिनांक 11.12.2004 को नामान्तकरण खोला गया जो सम्पत्ति बल्द सूसी जाति जाट निवासी ग्राम बाछरैन तहसील भुसावर के स्थान पर पूरनसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जाट निवासी हिगोंटा तहसील भुसावर के नाम खोला गया। लेकिन पटवार जमाबंदी में स्थगन आदेश होने के कारण अपीलांट के नाम नही हो सका। दिनांक 01.12.2020 को रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पिता सम्पत की आकस्मिक मृत्यु हो गई जिसके बाद मृतक सम्पत के विधिक वारिसान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर में 136 भूराजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश कर सम्पति के स्थान पर सम्पत दर्ज किये जाने की प्रार्थना की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर ने दिनांक 04.7.2023 को उनवानी प्रकरण मछला बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.9.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात में प्रार्थियां के पिता का नाम सम्पत्ति पुत्र सूंसी को कलमजन किया जाकर सही नाम सम्पत पुत्र सूंसी दर्ज किये जाने का आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय मात्र पटवार जमाबंदी में राजस्व रिकार्ड में नाम की शुद्धि से सबंधित था न कि नामान्तकरण की कार्यवाही से सबंधित था। राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्टस से मिलीभगत कर अपीलांट को धोखा देकर क्षति कारित करने की नियत से विधिविरूद्ध तरीके से रेस्पो0स02 लगायत 5 से अनुचित लाभ लेकर स्थगन आदेश होने के बावजूद जमाबंदी में अंकित नोट को नजरअंदाज कर विधिविरूद्ध तरीके से नामा0स034 दिनांक 01.12.2023 को आराजी खसरा नम्बर 2286 का नामान्तकरण अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम खोल दिया तथा पटवार जमाबंदी में भी अमल की कार्यवाही की गई थी। इसलिए उक्त कार्यवाही विधिविरूद्व है जबकि वर्तमान में राजस्व मण्डल में स्थगन प्रार्थना पत्र लम्बित है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 03.01.2025 को नकल लेने पर हुई जिसमें कि शुद्वि पत्र के आधार पर प्रविष्टि संख्या 34 दिनांक 01.12.2023 को कार्यवाही के बारे में पता चलने पर नकल ली गई। उसके बाद अपीलांट बृद्व व्यक्ति होने के कारण बीमार हो गया एवं कैंसर की बीमारी से पीडित हो गया और कैंसर की गंभीर बीमारी से पीडित होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ था। इसलिए समयावधि के अंतर्गत अपील पेश नही कर सका। इसलिए म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अपील के साथ पृथ से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण शुद्वि पत्र प्रविष्टि संख्या 34 दिनांक 01.12.2023 के आधार पर खोले गये पटवार जमाबंदी में अमल की कार्यवाही एवं प्रविष्टि कम संख्या 34 के द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाये जाने एवं अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि नामा0 प्रविष्टि कम संख्या 34 दिनांक 1.12.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 5 ने पिता का नाम सम्पति पुत्र सूंसी के स्थान पर सम्पत पुत्र सूंसी का शुद्वि करने के बाबत् न्यायालय में प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदत्त आदेश दिनांक 04.07.2023 से स्वीकृत हुआ है। अपीलांट के हितो पर उक्त शुद्विपत्र से कोई सबंध सरोकार नही है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील म्याद बाहर पेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

की गई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का दिन प्रतिदिन का कोई संतुष्टिपूर्ण हवाला नही दिया है जबकि मान0उच्चतम न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांतो में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि देरी के सबंध में अपीलांट को दिन–प्रतिदिन का कारण देना होगा इसके अभाव में अपील को ग्रहण नही किया जावेगा। अतः अपील अपीलाट म्याद बाहर होने के कारण ग्रहण किये जाने योग्य नही है। इसलिए अपील अपीलाट को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants^^

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

^^Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal^^

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट ने अप्रार्थीगण के पिता सम्पति उर्फ सम्पत से खसरा नम्बर 1569 नया नम्बर 2286 रकबा 1.04 है0 में से 5/12 हिस्सा वाके ग्राम बाछरैन तहसील भुसावर को दस्तावेज संख्या 164 प्रविष्टि के आधार पर दिनांक 06.2.2002 से क्रय की थी जिसके आधार पर दिनांक 11.12.2004 को नामान्तकरण खोला गया जो सम्पत्ति बल्द सूसी जाति जाट निवासी ग्राम बाछरैन तहसील भुसावर के स्थान पर पूरनसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जाट निवासी हिगोंटा तहसील भुसावर के नाम खोला गया। लेकिन पटवार जमाबंदी में स्थगन आदेश होने के कारण अपीलांट के नाम नही हो सका। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के पिता सम्पत की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके विधिक वारिसान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर में 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश कर सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत दर्ज किये जाने की प्रार्थना न्यायालय द्वारा दिनांक 04.7.2023 को उनवानी प्रकरण मछला बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.9.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात में प्रार्थियां के पिता का नाम सम्पत्ति पुत्र सूंसी को कलमजन किया जाकर सही नाम सम्पत पुत्र सूंसी दर्ज किये जाने का आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय मात्र पटवार जमाबंदी में राजस्व रिकार्ड में नाम की शुद्धि से सबंधित था न कि नामान्तकरण की कार्यवाही से सबंधित था। अपीलाधीन आदेश नामान्त्तकरण संख्या 34 शुद्धिपत्र में सम्पत पुत्र सूंसी हिस्सा 5/12 जाति जाट साकिन बाछरैन खातेदार के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 का इन्द्राज किया गया है तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमांबदी में अंकन किया गया है। जहां तक स्थगन आदेश का प्रश्न है, तो उभयपक्ष द्वारा यह स्पष्ट नही किया है कि मान0राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(7)

मण्डल राजस्थान अजमेर में किस बाबत् स्थगन आदेश लम्बित है, का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जहां तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बयनामा आराजी खसरा नम्बर साविक 1569 हाल 2286 रकबा 1.04 है0 तथा बयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1446 दिनांक 13.12.04 को स्वीकृत किये जाने की छायाप्रति पेश की है लेकिन उक्त नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज स्थगन होने के कारण नही किया जाने का उल्लेख किया। अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी भुसावर के निर्णय दिनांक 04.7.2023 में 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत शुद्वि पत्र में अप्रार्थीगण के पिता का सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत किये जाने का पारित किया गया है किन्तु नामान्तकरण संख्या 34 के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त नामान्तकरण शुद्विपत्र के स्थान पर विरासत का स्वीकृत किया गया है,जिसमें अपीलांट के कय शुदा आराजी खसरा नम्बर 1569 हाल 2286 को भी शामिल किया गया है। जबकि उक्त ख0न0 2286 का बेचान का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है। तहत न्यायालय को इस सबंध में पूर्व में हुई बेचान के नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर या मृतक अप्रार्थी के वारिसान की आराजी से मुक्त रखना चाहिये था जो उनके द्वारा नही किया गया है। इस प्रकार हमारी राय में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 01.12.2023 पारित करने से पूर्व रिकार्ड एवं उभयपक्ष की सुनवाई कर उचित आदेश पारित करना चाहिये था जो उनके द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप निर्णय पारित नही किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि अपील अपीलान्ट उपरोक्त विवेचनानुसार आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 1.12.2023 वाके ग्राम बाछरैन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1446 दिनांक 13.12.2004 व उपखण्ड अधिकारी भुसावर के आदेश 136 भूराजस्व अधिनियम दिनांक 04.07.2023 के परिपेक्ष्य में भलीभांति परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

नोट!— नामान्तकरण संख्या 34 के स्थान पर शुद्धिपत्र प्रविष्टि क्रम संख्या 34 दि 01-12-23 पढ़ा जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)